(98)

संख्या– 255/ F/ XVIII-(2)/12–14(3)/07 टी.सी.

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग देहरादूनः दिनांक 11 जून, 2012

विषयः– **वर्ष 2012–13 में अधिसूचित आपदाओं से सम्भावित पेयजल संकट से निपटने के लिये आपातकालीन पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

ग्रीष्म काल के दौरान अधिसूचित आपदाओं से सम्भावित पेयजल संकट से निपटने हेतु राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के लिए सम्यक विचारोपरान्त रू0 25.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल ₹ 3.25 करोड़ (₹ तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम के रूप में जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त पेयजल की आपूर्ति भारत सरकार के राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय हेतु निर्धारित मद एवं मानकों से आच्छादित है।

2– राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, अग्नि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट आक्रमण एवं सुनामी को प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। स्वीकृत धनराशि से जलापूर्ति केवल भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इन प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न पेयजल संकट से निपटने हेतु की जायेगी, जो 30 दिनों हेतु मान्य होगी। सूखे की दशा में यह अवधि 90 दिनों तक बढ़ायी जा सकती है।

3– पेयजल आपूर्ति हेतु टेण्डर/निविदा इत्यादि की सभी औपचारिकताए जो भी नियमानुसार आवश्यक है, पूर्ण की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होगा।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल पेयजल संकट से निपटने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के लिए किया जायेगा। धनराशि का उपयोग अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। पेयजल आपातकालीन परिस्थितियों में आपूर्ति की गई है, की पुष्टि जिलाधिकारी/डी.डी.एम.ए. द्वारा की जायेगी।

5– टैंकरों/खच्चरों द्वारा करायी गई बिलों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण बिल बाउचर सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

7– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 25 NP/XXVII(5)/12–13, दिनांक 07.06.2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

संख्या–255 (1)/F/XVIII-(2)/12-14(3)/07 टी.सी. एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5
11– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशलालय उत्तराखण्ड।
12– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव